राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 14/2020

1. सरस्वती बाल मन्दिर समिति, कांकरिया तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बसन्ती देवी पत्नी रघुवीर जाति सोनी निवासी कांकरिया तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. बाला देवी पत्नी स्व. चोथमल
2. दिनेश पुत्र स्व. चोथमल
3. संजय कुमार पुत्र स्व. चोथमल
   जाति खाती निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. अनिता पुत्री स्व. चोथमल पत्नी प्रमोद कुमार जाति खाती निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. नागरमल पुत्र हनुमान जाति खाती निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. बन्शीधर पुत्र मंगलाराम
7. मुसाराम पुत्र जमनाराम
   जाति माली निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रामनिवास पुत्र सुण्डा जाति खाती निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

::निर्णय :: **दिनांक 20–04–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रंकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–03–2021 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम कांकरिया पटवार हल्का कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसा[illegible] 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 176 के खसरा नंबर 165 रकबा [illegible] 272/625 हिस्से व वादी सं. 2 के 1617/20800 हिस्से की भूमि का अलग–अ[illegible] खाता विभाजन [illegible]गान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/2310 दिनांक 09.04.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी, जिला–झुन्झुनूं (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)